

मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था

- हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को सामन्ती व्यवस्था भी कहा जाता है।
- इस व्यवस्था में एक भाई राजा बनता था तथा वह अपने बाकी भाइयों को भूमि आवंटित करता था। इस भूमि को जागीर/ठिकाना कहा जाता था।
- इस प्रकार यह व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी तथा यह एक वंशानुगत व्यवस्था थी।
- राज्य, राजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होकर सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर थी।
- जेम्स टॉड के अनुसार यूरोप में राजा तथा सामन्तों के संबंध स्वामी तथा सेवक की तरह होते थे। लेकिन हमारी व्यवस्था टेन्ट के समान थी तथा उसमें राजा समकक्षों में प्रथम होता था।
- मुगल शासन के दौरान सामन्ती व्यवस्था में पदसोपान आ गया था लेकिन फिर भी हमारा मूल ढांचा टेंट के समान बना रहा था।
- हमारी व्यवस्था सम्मान एवं कर्तव्य पर आधारित थी।

सामन्तों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर :-

1. रेख :-

- सामन्तों द्वारा राजा को भू-राजस्व जमा करवाया जाता था।
- मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने रेख व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। अतः इसे 'अमरशाही रेख' कहा जाता है।
- रेख दो प्रकार की होती थी-
 - (1) पट्टा रेख - यह अनुमानित भू-राजस्व होता था। जो जागीर के पट्टे में लिखा जाता था।
 - (2) भरतु रेख - यह वास्तविक भू-राजस्व होता था। जो सामन्त द्वारा जमा करवाया जाता था।

2. उत्तराधिकार कर :-

- नए सामन्त द्वारा राजा को यह कर जमा करवाया जाता था।
- अलग-अलग रियासतों में इस कर को अलग-अलग नामों से जाना जाता था।
मेवाड़- कैद खालसा, तलवार बंधाई, तथा नजराना
मारवाड़ -हुक्मनामा, पेशकशी
अपवाद -जैसलमेर के सामन्त यह कर जमा नहीं करवाते थे।

3. नजराना :-युवराज के प्रथम विवाह के समय सामन्तों द्वारा राजा को यह कर दिया जाता था।

4. न्यौत कर :-राजकुमारियों के विवाह के समय सामन्त राजा को यह कर जमा करवाता था।

5. गनीम बराड़ :-युद्ध के समय सामन्तों द्वारा राजा को यह कर दिया जाता था।

6. चाकरी :-सामन्तों द्वारा राजा को सेवाएं प्रदान की जाती थी इसके बदले में राजा कोई धन नहीं देता था।

- अपवाद -जैसलमेर रियासत में सामन्तों को चाकरी के बदले धन दिया जाता था।

सामन्तों के विशेषाधिकार :-

1. ताजीम :-राजा सामन्त के दरबार में आने पर खड़ा होकर स्वागत करता था। यह दो प्रकार की होती थी।

- (a) इकेवड़ी - केवल आने पर।
- (b) दोवड़ी - आने तथा जाने पर।

2. बाँह पसाव:-जब सामन्त दरबार में आता था तब राजा उसके कंधे थपथपाया करता था।

3. हाथ कुरव:-राजा सामन्त के कंधे थपथपाता है तथा उस हाथ को अपने हृदय से लगा देता है।

जागीरों के प्रकार :-

2. सामन्त जागीर :- राजा द्वारा अपने भाइयों को यह जागीर दी जाती थी। यह जागीरें वंशानुगत होती थी।
3. हुकुमत जागीर :- यह जागीर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदान की जाती थी।
4. भौम :- सैनिक सेवा के बदले दी जाती थी। यह वंशानुगत व अवंशानुगत होती थी।
5. सासण :- यह धार्मिक अनुदान के रूप में दी जाती थी। यह कर मुक्त भूमि होती थी अतः इसे माफी जागीर भी कहते हैं।

नोट:-

1. मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर की दरगाह को 18 गाँव दान में दिए थे।
2. मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इस दरगाह को 4 गाँव दान में दिए थे।

3. मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने इस दरगाह को भूमि अनुदान दिया था।

सामन्तों की श्रेणियाँ :-

1. **मेवाड़:-** मेवाड़ में सामन्तों की तीन श्रेणियाँ हैं।

- प्रथम श्रेणी - इस श्रेणी में 16 सामन्त थे जिन्हें उमराव कहा जाता था। इनमें सलूम्बर का सामन्त सबसे प्रमुख था
- द्वितीय श्रेणी- इस श्रेणी में 32 सामन्त होते थे।
- तृतीय श्रेणी- इस श्रेणी में 100 से अधिक सामन्त थे जिन्हें गोल के सामन्त कहा जाता था।

2. **मारवाड़ :-** मारवाड़ में सामन्तों की कुल 4 श्रेणियाँ थी।

- राजवी- राजा के निकट ३ पीढ़ी के सामन्त। इन्हें रेख, चाकरी, तथा हुक्मनामा जमा नहीं करवाना पड़ता था।
- सिरदार - निकट ३ पीढ़ी के अलावा अन्य राठौड़ सामन्त।
- गिनायत- वे सामन्त जिनसे राजा वैवाहिक संबंध स्थापित करता था।
- मुत्सद्दी- प्रशासनिक अधिकारी।

3. **बीकानेर :-** बीकानेर में सामन्तों की 3 श्रेणियाँ थी।

- प्रथम श्रेणी- राव बीका के वंशज ।
- द्वितीय श्रेणी - बीका के वंशजों के अलावा अन्य राठौड़ सामन्त।
- तृतीय श्रेणी - बीका से पूर्व की बीकानेर का शासक वर्ग।

4. **जैसलमेर :-** हरराज ने सामन्तों की दो श्रेणियाँ बनाई थी।

- जीवणी- दाहिने हाथ
- डावी - बाएं हाथ

5. **आमेर :-** पृथ्वीराज ने 12 प्रमुख सामन्त बनाए थे अतः इसे 'बारह कोटड़ी' व्यवस्था कहा जाता था।

6. **कोटा :-** कोटा में 30 प्रमुख सामन्त थे। इनमें हाड़ा चौहानों की संख्या अधिक थी। इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था।

- देशथी- जो कोटा में रहते थे
- हजूरथी - जो राजा के साथ चले जाते थे।

प्रशासनिक अधिकारी :-

1. **राजा-**

- राजा सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था लेकिन राजा निरकुंश नहीं था।
- राजा पुरोहित, युवराज तथा सामन्तों के सहयोग से शासन करता था।
- राजा पर धर्मशास्त्रों का नियंत्रण तथा नीतिगत दबाव होता था।
- यदि राजा कम उम्र का होता था तब उसकी माता शासन संभालती थी।

2. **प्रधान-**

- यह प्रशासनिक एवं सैनिक मामलों में राजा को सलाह दिया करता था।
- इसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता था।

जैसे-

कोटा/बूंदी	दीवान/फौजदार
बीकानेर/भरतपुर	मुख्तार
जयपुर	मुसाहिब
मेवाड़/मारवाड़/जैसलमेर	प्रधान

3. **दीवान-**

- यह राजा को वित्त एवं राजस्व के मामले में सलाह देता था।
- यह परगनों में हकीम की नियुक्ति करता था।
- राजा की अनुपस्थिति में यह राज्य को संभालता था तब इसे 'देश दीवान' कहा जाता था।

4. **बक्षी**-यह सेना के भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुशासन के मामले देखता था।
5. **नायब बक्षी**-यह सेना तथा किलों पर होने वाले खर्च का ध्यान रखता था। यह रेख का भी हिसाब रखता था।
6. **शिकदार**-यह गैर सैनिक खर्चों का ध्यान रखता था यह नगर की कानून व्यवस्था को सम्भालता था। मुगल प्रशासन में इसे कोतवाल कहा जाता था।
7. **मीर सामा**- यह राजकीय महल में आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। यह राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखता था। यह बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। कालान्तर में इसे दीवान बनाया जाता था।
8. **वकील** -यह राजधानी में ठिकाने का प्रतिनिधि होता था।
9. **नैमेत्तिक** -राजा का ज्योतिषी होता था।
10. **मीर मुंशी** -यह राजा की तरफ से पत्र लिखता था।

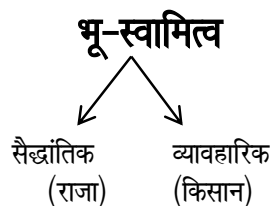
नोट:-प्रतिहार शासनकाल में प्रशासनिक अधिकारियों को 'राजपुरुष' कहा जाता था।

न्यायिक प्रशासन :-

- राजा सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता था वह बड़े अपराध तथा मृत्युदण्ड के मामले देखता था।
- हकीम खालसा क्षेत्र में न्यायिक अधिकारी होता था। तथा जागीर में सामन्त न्याय करते थे।
- छोटे मामले ग्राम पंचायत तथा जातीय पंचायत द्वारा देखे जाते थे।
- धर्म शास्त्र के आधार पर न्याय किया जाता है
- अपराधी की धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति का ध्यान रखा जाता था। अपराध व्यक्ति के खिलाफ माना जाता था राज्य के खिलाफ नहीं।
- मुकदमों तथा गवाही का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था।
- दण्ड बहुत सरल थे।
- न्याय शीघ्र तथा सस्ता था
- कुछ सामन्तों के पास शरण देने का अधिकार था अतः कई बार बड़े अपराधी बच जाया करते थे।

भू-राजस्व प्रशासन :-

- भूमि दो प्रकार की होती थी-
1. **कृषि भूमि**- कृषि भूमि दो प्रकार की होती थी
 - ✓ उन्नाव/पीव- इसमें सिचाई के कृत्रिम साधनों का प्रयोग।
 - ✓ बारानी भूमि- इसमें वर्षा द्वारा सिंचाई होती थी।
 2. **चरणोता भूमि** - यह सार्वजनिक भूमि होती थी इस पर सभी का सामूहिक अधिकार होता था। राजा भी इसे खालसा नहीं कर सकता था इसे गोचर भूमि भी कहा जाता था।



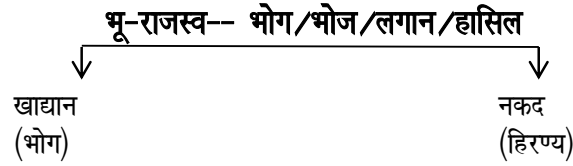
किसान दो प्रकार के होते थे-

1. बापीदार किसान--

- इनके पास खुद की जमीन होती थी अतः इन्हें भूमि का पट्टा दिया जाता था जिसे 'दाखिला' कहा जाता था
- यह किसान अपने खेत में कुआँ खुदवा सकता था तथा लकड़ियाँ प्राप्त कर सकता था।
- अकाल की स्थिति में यदि किसान बाहर चला जाता था तब भी राजा उसकी भूमि को खालसा घोषित नहीं करता था

2. गैर बापीदार किसान :-

- इनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी।
- यह दूसरों की भूमि पर खेती करते थे इन्हें 'शिकमी' कहा जाता था।



- भू-राजस्व के निर्धारण में तीन बातों का ध्यान रखा जाता था-
 1. भूमि की उत्पादकता
 2. फसल का बाजार भाव
 3. किसान की जाति (राजपूत व ब्राह्मण किसानों से कम कर लिया जाता था।)



भू-राजस्व मापन के प्रकार :-

1. लाटा-कुंता - फसल के अनुमान के आधार पर।
2. डोरी - भूमि के मापन के आधार पर ।
3. मुक्ता - सम्पूर्ण गाँव की भूमि का राजस्व।
4. घुघरी - फसलों के बीजों के अनुमान के आधार पर ।
5. जाजम - भूमि की खरीद बिक्री पर।
6. सिंगोटी - पशुओं की खरीद बिक्री पर ।
7. दान - एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल के व्यापार पर।
8. सायर - मार्ग कर।